न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 107/2013/223 आर टी ए

1. शेरसिंह पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सिलोचना पुत्री लादूराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. मोहना पुत्री लादूराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. विद्या पुत्री लादूराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्णा पुत्री लादूराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. विनोद पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर नाबालिग जरिये संरक्षक नाना कृष्णलाल पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. लादूराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. सोनू पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. पूनम पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. संतोष पत्नि लादूराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व नोहर।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2004 न्यायालय सहायक कलक्टर नोहर
प्रकरण संख्या 45/2003 अनवानी विनोद बनाम लादूराम आदि

उपस्थित :–

श्री देवदत भीड़ासरा एवं श्री विनोद पारीक अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7

निर्णय दिनांकः–12.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 की तरफ उसके नाना कृष्णलाल ने स्वयं को नाबालिग रेस्पो0 सं. 1 तथाकथित कुदरतीवली का कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए का पेश किया कि रेस्पो0 सं. 1 के पड़दादा श्रीराम के दो लड़के जीवनराम व रखाराम थे। रखाराम सम्वत 2004 मे लावल्द फौत हो गया तथा उस दौरान कानून के मुताबिक उसका सबसे नजदीकी वारिस जीवनराम था व जीवनराम भी सम्वत 2009 मे फौत हो गये जिसके चार पुत्र श्रीराम, मनफूल व उदाराम, इन्द्राज हुए। रेस्पो0 सं. 2 के पिता श्रीराम भी सम्वत 2012 मे फौत हो गया जिसका एकमात्र वारिस रेस्पो0 सं. 2 लादूराम था जिसके दो पुत्र अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 थे। अपीलांट के मात्र संतान विनोद है। रेस्पो0 सं. 2 को बंटवारा मे खसरा नं. 152/24.10, 155/15.06 कुल 39.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16 बीघा बतौर कर्ता संयुक्त परिवार प्राप्त हुई अपीलांट के पिता लादूराम रेस्पो0 सं. 2 ने उक्त भूमि की आय से अपनी पत्नि संतोष के नाम से खसरा नं. 25–बी मे 6.15 बीघा रोही मौजा देईदास मे खरीद की। उक्त भूमि मे अपीलांट का 1/3 हिस्सा होना व अपीलांट द्वारा हिस्सा रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे तर्क करने के आधार पर स्वयं को सम्पूर्ण भूमि 46.11 बीघा भूमि मे से 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 सं. 1 ने अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 के सभी वारिसान को बिना पक्षकार बनाये ही यह वाद प्रस्तुत किया था जबकि संयुक्त परिवार की भूमि मे घोषणा हेतु रेस्पो0 आवश्यक पक्षकार थे। परन्तु दावा रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे डिक्री कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 विनोद नाबालिग है जिसकी वाद प्रस्तुत करने के समय आयु केवल मात्र 1 वर्ष थी। अपीलांट की पत्नि व रेस्पो सं. 1 की माता का देहान्त हो चुका है। रेस्पो0 सं. 1 का कुदरती वली व सरंक्षक पिता अपीलांट ही है व अपीलांट रेस्पो0 सं. 1 का सही पालन पोषण कर रहे है। अपीलांट के जीवित रहते रेस्पो0 सं. 1 के नाना कुदरती वली नही हो सकते, नाना कृष्णलाल नाबालिग की संपति को हड़पने के लिए गलत रूप से संरक्षक बनकर वाद प्रस्तुत किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट की पत्नि माया देवी जो विकृतचित थी ने दिनांक 18.04.03 को कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली। उक्त घटना की पुलिस थाना नोहर मे धारा 174 सीआरपीसी के तहत मर्ग सं. 3/2003 दिनांक 19.04.03 को दर्ज की गई। उक्त मर्ग ताराचंद पुत्र श्रीराम जो मायादेवी का मामा था के द्वारा दर्ज करवायी गयी थी व मायादेवी के पीहर पक्ष ने अपीलांट व उसके पिता लादूराम व भाई सुरेन्द्र सिंह पर अवैध दबाव बना कर लादूराम व रेस्पो0 सं. 10 संतोष ने नाम से संपूर्ण भूमि मे 1/3 हिस्सा की भूमि रेस्पो सं. 1 के नाम से दर्ज करवाने का कहा व दर्ज न करवाने पर आत्महत्या के प्रकरण को हत्या का प्रकरण बनाने का अवैध दबाव बनाया व मिलीभगत करके उक्त वाद प्रस्तुत कर दिया। मायादेवी के आत्महत्या का प्रकरण दिनांक 19.04.03 को दर्ज हुआ व नाना ने दिनांक 02.05.03 को अधीनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर दिया। वाद मे तलबी हेतु दिनांक 16.05.03 पेशी निर्धारित की व निर्धारित पेशी के पूर्व दिनांक 06.05.03 को अपीलांट व उसके पिता से उनकी बिना सहमति के इकबालदावा मर्ग के दबाव मे प्रस्तुत करवा दिया। उक्त इकदावे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 की स्वतंत्र इच्छा के बिना अवैध दबाव के प्रस्तुत करवाये है। अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय ने उक्त इकबालदावो की बिना कोई जांच किये व बिना अपीलांट से पूछताछ किये एवं विवादित भूमि मे रेस्पो0 सं. 1 का 1/3 हिस्सा बनता है या नही के संबंध मे दस्तावेजो की बिना कोई जांच किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी।

4. वादी/रेस्पो0 सं. 1 ने अपने दादा लादूराम व दादी संतोष के हिस्सा की भूमि मे अपने पिता अपीलांट का 1/3 हिस्सा होने का कथन कर घोषणा चाही थी जबकि रेस्पो0 सं. 10 संतोष को वाद मे पक्षकार ही नही बनाया व रेस्पो0 सं. 2 के पुत्र अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 के अतिरिक्त चार पुत्रियां भी वारिस है एवं जिन्हे वाद मे पक्षकार नही बनाया व रेस्पो0 सं. 1 ने अपने वाद मे अपीलांट के केवल मात्र स्वयं को ही वारिस बनाया है जबकि अपीलांट के कुल तीन वारिस है जिनमे दो पुत्रियां को भी वाद मे पक्षकार नही बनाया है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम मे किये गये संशोधन के पश्चात रेस्पो0 सं. 2 लादूराम की भूमि मे उसके 6 वारिसान है एवं स्वयं के कुल सात हिस्सेदार है व अपीलांट का लादूराम की भूमि मे केवल 1/7 हिस्सा बनता है व उक्त 1/7 हिस्सा मे रेस्पो0 सं. 1 मात्र 1/4 हिस्सा की ही घोषणा करवा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पो0 सं. 1 को 1/3 हिस्सा का हकदार घोषित किया है जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है। आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के Proviso व Explanation के अन्तर्गत भी किसी राजीनामा को Void अथवा Voidable होने के आधार पर चुनौती देने हेतु आदेश 23 नियम 3ए जो सन् 1976 मे सीपीसी मे जोड़ा गया है मे सिर्फ यह वर्जना है कि राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री को चुनौती देते हुये पृथक से दावा प्रस्तुत नही किया जावेगा। लेकिन एआईआर 1993 एससी 1139 मे प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार वह उस राजीनामा को Trial Court मे धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत चुनौती दे सकता है अथवा धारा 96 (1) सीपीसी के अन्तर्गत अपील कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह प्रतिपादित किया है कि Compromise decree को चुनौती देते हुये पृथक से वादपत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता बल्कि वह Trial Court के समक्ष धारा 151 के अन्तर्गत राजीनामा को निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है अथवा धारा 96 (1) सीपीसी के अन्तर्गत अपील कर सकता है। यहां उल्लेख किया जाना भी उचित है कि सन् 1976 मे सीपीसी मे हुये संशोधन के अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1ए के प्रावधान जोडे गये है। अपील मे कथित राजीनामा ''असम्यक दबाव'' मे किये जाने के स्पष्ट अभिवचन है। उक्त विधिक स्थिति को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि यह डिक्री Void भी है क्योंकि अपीलांट अपने पिता से प्राप्त समस्त हिस्सा रेस्पो0 की खातेदारी दर्ज की गई Law-ful agreement नही है। अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री अंतिम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नही हुई है अपितु अपील विचाराधीन है। शेरसिंह की पुत्रियां भी बतौर सहदायिक प्रश्नगत भूमि मे हिस्सा रखती है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2008(2) पेज 879 के अनुसार पैतृक भूमि मे पत्नि पैतृक भूमि मे विभाजन का दावा नही कर सकती परन्तु यदि ऐसी सम्पति मे उसके पति व पुत्रो के मध्य विभाजन होता है तो वह भी अपने पुत्रो के समान हिस्से की अधिकारिणी है, अपीलांट को पैतृक सम्पति मे हिस्से से वंचित नही किया जा सकता। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे एआईआर 1993 पेज 1139, डीएनजे 2004 पेज 470, आरआरडी 1978 पेज 11, आरआरडी 1986 पेज 666, आरआरडी 2006 पेज 397, सीसीसी 2015 (4) पेज 544, एआईआर 2018 पेज 721, आरआरटी 2008(2) पेज 879 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये है वे कतई आधारहीन है। चूंकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2004 को पारित की गई है जबकि उक्त अपील दिनांक 05.06.2013 को प्रस्तुत की गई जो लगभग 9 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात पेश की गई। जबकि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान शुरू से ही रहा है क्योंकि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 द्वारा दावा मे इकबालदावा प्रस्तुत किया गया है और इकबालदावा के आधार पर सहमति मानते हुए दावा डिक्री किया गया है जिसमे अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को माफ नही किया जा सकता है। अपीलांट मियाद अधिनियम की धारा 5 का किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा अपील कतई मियाद बाहर पेश की गई है। जो प्रथमतः मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज होने योग्य है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश कर पैतृक सम्पति मे अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने हेतु अनुतोष चाहा गया था चूंकि अपीलांट सं. 1 रेस्पो0 सं. 1 का पिता है और पिता के हिस्सा की भूमि की घोषणा करवाने का वाद प्रस्तुत कर घोषणा करवाई गई है जो सही है। अपीलांट बिना किसी के आधार रेस्पो0 सं. 1 को परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की है। जबकि अपीलांट शेरसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के समक्ष इकबालदावा प्रस्तुत किया गया जिसके कारण शेरसिंह इकबालदावा मे किये गये कथनो से विबंधित है तथा शेरसिंह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नही है और ना ही अपीलांट शेरसिंह अपील प्रस्तुत कर सकता है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2013 पेज 189 व 788 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 2 लादूराम के नाम दर्ज है। रेस्पो0 सं. 1 की ओर से संरक्षक नाना के जरिये रेस्पो0 विनोद दादा लादूराम उसके दोनो पुत्र शेरसिंह व सुरेन्द्र सिंह को प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करते हुए घोषणा का वाद वादग्रस्त भूमि का पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए वादग्रस्त भूमि 1/3 हिस्सा की घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे लादूराम खातेदार के समस्त विधिक वारिसान मे खातेदार लादूराम की पत्नि संतोष एवं खातेदार की पुत्रियों को भी पक्षकार नही बनाया। जबकि खातेदार लादूराम के समस्त वारिसान आवश्यक पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 द्वारा इकबालदावा प्रस्तुत होने के उपरांत दावा डिक्री कर दिया गया। जिसमे अपीलांट का तर्क है कि अपीलांट का 1/3 हिस्सा होने का कथन कर घोषणा चाही थी जबकि रेस्पो0 सं. 10 संतोष को वाद मे पक्षकार ही नही बनाया व रेस्पो0 सं. 2 के पुत्र अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 के अतिरिक्त चार पुत्रियां भी वारिस है जिन्हे वाद मे पक्षकार नही बनाया व रेस्पो0 सं. 1 ने अपने वाद मे अपीलांट के केवल मात्र स्वयं को ही वारिस बनाया है जबकि अपीलांट के कुल तीन वारिस है जिनमे दो पुत्रियां को भी वाद मे पक्षकार नही बनाया है और ना ही खातेदार लादूराम के पत्नि संतोष एवं पुत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम मे किये गये संशोधन के पश्चात रेस्पो0 सं. 2 लादूराम की भूमि मे उसके 6 वारिसान है एवं स्वयं के कुल सात हिस्सेदार है व अपीलांट का लादूराम की भूमि मे केवल 1/7 हिस्सा बनता है व उक्त 1/7 हिस्सा मे रेस्पो0 सं. 1 मात्र 1/4 हिस्सा की ही घोषणा करवा सकता है। जिसमे रेस्पो0 सं. 1 के अधिवक्ता का कथन है कि ''अपीलांट शेरसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इकबालदावा प्रस्तुत किया गया जिसके कारण शेरसिंह इकबालदावा मे किये गये कथनो से विबंधित है तथा शेरसिंह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नही है और ना ही अपीलांट शेरसिंह अपील प्रस्तुत कर सकता है। जिसके विपरीत रेस्पो0 अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया है कि आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के Proviso व Explanation के अन्तर्गत भी किसी राजीनामा को Void अथवा Voidable होने के आधार पर चुनौती देने हेतु आदेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23 नियम 3ए जो सन् 1976 मे सीपीसी मे जोड़ा गया है मे सिर्फ यह वर्जना है कि राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री को चुनौती देते हुये पृथक से दावा प्रस्तुत नही किया जावेगा। लेकिन एआईआर 1993 एससी 1139 मे प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार वह उस राजीनामा को Trial Court मे धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत चुनौती दे सकता है अथवा धारा 96 (1) सीपीसी के अन्तर्गत अपील कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह प्रतिपादित किया है कि Compromise decree को चुनौती देते हुये पृथक से वादपत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता बल्कि वह Trial Court के समक्ष धारा 151 के अन्तर्गत राजीनामा को निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है अथवा धारा 96 (1) सीपीसी के अन्तर्गत अपील कर सकता है। यहां उल्लेख किया जाना भी उचित है कि सन् 1976 मे सीपीसी मे हुये संशोधन के अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1ए के प्रावधान जोडे गये है। अपील मे कथित राजीनामा ''असम्यक दबाव'' मे किये जाने के स्पष्ट अभिवचन है। उक्त विधिक स्थिति को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि यह डिक्री Void भी है क्योंकि अपीलांट अपने पिता से प्राप्त समस्त हिस्सा रेस्पो0 की खातेदारी दर्ज की गई Law-ful agreement नही है। अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री अंतिम नही हुई है अपितु अपील विचाराधीन है। शेरसिंह की पुत्रियां भी बतौर सहदायिक प्रश्नगत भूमि मे हिस्सा रखती है।

7. अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के उक्त तथ्यो एवं न्यायिक दृष्टांतो का खण्डन नही करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये है वे कतई आधारहीन है।

8. प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करने के बिन्दू को ध्यान मे रखते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के एवं बहस सुनने उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 2 लादूराम के नाम दर्ज है। रेस्पो0 सं. 1 ने अपने दादा व पिता के खिलाफ दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए वादग्रस्त भूमि 1/3 हिस्सा की घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अपीलांट व रेस्पो0 सं.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2 द्वारा इकबालदावा प्रस्तुत किया गया अर्थात अपीलांट की सहमति थी। परन्तु रेस्पो0 सं. 4 ता 7 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए रेस्पो0 से बतौर अपीलांट पक्षकार संयोजित करने का निवेदन किया गया जिसके आधार पर रेस्पो0 सं. 4 ता 7 बतौर अपीलांट पक्षकार संयोजित किया जा चुका है, चूंकि रेस्पो0 सं. 4 ता 7 जो अपीलांट 2 ता 5 संयोजित हुये लादूराम की पुत्रियां है तथा अपील द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के अनुसार आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के Proviso व Explanation के अन्तर्गत भी किसी राजीनामा को Void अथवा Voidable होने के आधार पर चुनौती देने हेतु आदेश 23 नियम 3ए जो सन् 1976 मे सीपीसी मे जोड़ा गया है मे सिर्फ यह वर्जना है कि राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री को चुनौती देते हुये पृथक से दावा प्रस्तुत नही किया जावेगा। लेकिन एआईआर 1993 एससी 1139 मे प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार वह उस राजीनामा को Trial Court मे धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत चुनौती दे सकता है अथवा धारा 96 (1) सीपीसी के अन्तर्गत अपील कर सकता है। यहां महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपीलांट को अपने पिता से प्राप्त समस्त हिस्सा रेस्पो0 के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित कर गये है जबकि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 2 लादूराम के नाम दर्ज जो रेस्पो0 सं. 1 का दादा है तथा लादूराम के दो पुत्र शेरसिंह व सुरेन्द्रसिंह एवं पत्नि संतोष भी है तथा शेरसिंह के दो पुत्रियां रेस्पो0 सं. 8 व 9 भी है जिन्हे दावा मे पक्षकार नही बनाया गया है जबकि एक खातेदार के पुत्र या पौत्र द्वारा घोषणा एवं विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जाता है तो खातेदार की पत्नि भी आवश्यक पक्षकार है और खातेदार की पत्नि का हिस्सा बनता है। वाद मे लादूराम की भूमि उसके विधिक वारिसान तथा शेरसिंह के नॉसनल शेयर मे उसके विधिक वारिसान रेस्पो0 सं. 8 व 9 का हिस्सा तय गया है बल्कि लादूराम की भूमि मे शेरसिंह का हिस्सा मानते हुए शेरसिंह के पुत्र रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे 1/3 हिस्सा की घोषणा की डिक्री पारित कर दी गई जबकि लादूराम की सम्पति के संबंध मे प्रस्तुत वाद मे लादूराम के समस्त वारिसान के साथ साथ शेरसिंह के समस्त विधिक वारिसान भी दावा मे आवश्यक पक्षकार थे तथा अहम जवाबदेही भी रखते है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 के वाद जो रेस्पो0 सं. 2 व 3 एवं अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया बिना प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार को सुने बिना पक्षकार बिनाये दावा डिक्री कर दिया गया जो विधि के अनुरूप नही होने के कारण पुष्टि योग्य नही है। उपरोक्त परिस्थितियों मे प्रकरण मे समस्त वारिसान को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

9. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2004 अपास्त किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2004 की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्याायलय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण मे हिन्दू खातेदार लादूराम के जीवनकाल मे पुत्र अथवा पौत्रो द्वारा पैतृक कृषि भूमि मे अपने हितो की घोषणा के वाद मे हिन्दू खातेदार लादूराम की पत्नि संतोष भी आवश्यक पक्षकार होने के कारण लादूराम की पत्नि संतोष एवं लादूराम के वर्तमान मे मौजूद अन्य समस्त विधिक उत्तराधिकारीगण को पक्षकार के रूप मे संयोजित किया जावे। लादूराम की पैतृक कृषि भूमि मे उसकी पुत्रियों के अधिकारो का विनिश्चयन हिन्दू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 के प्रावधानो के अन्तर्गत करते हुए अपीलांट शेरसिंह के हितो का निर्धारण करते हुए तद्नुसार रेस्पो0 विनोद के हितो की घोषणा के संबंध मे पुनः नये सिरे से आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि का विक्रय, दान या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करने हेतु उभय पक्ष निषिद्ध रहेगें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.10.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official